



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-30.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 535/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 15000/- रुपये के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायलवस्था मे किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटर साईकिल अपाचे बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस



एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 535/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 15000 रुपये के इनामी गैंगस्टर अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटर साईकिल अपाचे बरामद हुई है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा अभियुक्त सुऐब की गिरफ्तारी पर 15000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था । घायल का उपचार जिला चिकित्सालय बागपत में चल रहा है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 16.06.2024 को 02 अभियुक्तगण 1-अब्दुल रहमान पुत्र मुजम्मिल निवास मौहल्ला मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद व 2- इरसाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुऐब पुत्र रहीसुद्दीन निवासी जाफर कालोनी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ (घायल)

घटना स्थल—ग्राम काठा से यमुना खादर को जाने वाले रास्ते पर अनिल पुत्र पटवारी निवासी ग्राम काठा के खेत में क्षेत्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 424/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
- 2- मु0अ0सं0 417/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
- 3- मु0अ0सं0 426/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना धौलाना जनपद हापुड।
- 4- मु0अ0सं0 325/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना धौलाना जनपद हापुड।
- 5- मु0अ0सं0 545/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना कोतवाली बागपत।
- 6- मु0अ0सं0 579/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर।
- एक मोटर साईकिल अपाचे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

एस0ओ0जी0 टीम बागपत-

1- निरी0 श्री रविन्द्र सिंह पलावत प्रभारी ए0ओ0जी0 ।

2- है0का0 489 सुनील कुमार ।

3- का0 25 राजीव कुमार ।

4- का0 375 मोनू शर्मा ।

5- का0 478 अजीत कुमार ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 571/2024 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 572/2024 धारा 457/380 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक दराती, एक हथौड़ी, केबिल के 02 टुकड़े बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 27.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रणवीर पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सुन्हेड़ा थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी ट्यूबवैल से केबिल, नरेन्द्र पुत्र ईश्वर सिंह की ट्यूबवैल से केबिल व फावडा आदि, महिपाल पुत्र हुक्मे की ट्यूबवैल से छत्त फाडकर दवाई, केबिल व रणवीर पुत्र राजसिंह की ट्यूबवैल से केबिल व बिजली मशीन तथा महकसिंह पुत्र दीपचन्द की ट्यूबवैल से लोहे का सामान प्लास, पेचकस चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 571/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



2-दिनांक 28.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अजब सिंह पुत्र श्री चन्दकीराम निवासी ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में उसकी ट्यूबवैल के कमरे का ताला तोडकर 6-6 मीटर के 02

सबमर्सिबल के तार काटकर चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 572/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 571/2024 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 572/2024 धारा 457/380 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 दराती, एक हथौड़ी, केबिल के 02 टुकड़े बरामद ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 29-06-2024 को 01 अभियुक्त नाजिम को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

- एक दराती ।
- एक हथौड़ी ।
- केबिल के 02 टुकड़े

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सिंगौली तगा थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 339 राकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 435 आलोक कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना बागपद जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 563/2024 धारा
147/148/149/452/427/504/307 भा0द0वि0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी तेजपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम सरूरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.संदीप पुत्र राजपाल, 2.सुनील पुत्र राजपाल, 3.विपिन पुत्र सोहनवीर, 4.कृष्ण पुत्र जयसिंह, 5.सोहनवीर पुत्र जयसिंह व 02 महिला निवासीगण ग्राम



सरूरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा अपने हाथों में फरसे, लोहे की रॉड व लाठी-डंडे लेकर वादी के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए वादी व वादी के परिजनो के ऊपर हमला किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 563/2024 धारा 147/148/149/452/427/504/307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

563/2024 धारा 147/148/149/452/427/504/307 भा0द0वि0 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशी कृष्ण पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम सररपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0यू0टी0 हिमांशु सागर थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 556 इलियास अहमद थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना बागपद जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 478/2024 धारा
147/149/504/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.05.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्रवण कुमार पुत्र श्री भगवान निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1- आकाश नैन उर्फ गड्डू पुत्र सतेन्द्र, 2- अर्जुन नैन पुत्र सतेन्द्र, 3- आशीश पहलवान निवासीगण ग्राम सररपुर कलां थाना बागपत जनपद बागपत, 4- सुनील पाशा निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत



जनपद बागपत, 5- आकाश निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत जनपद बागपत व 8-10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर तमंचे व पिस्टल से लैस होकर आवेदक के पुत्र निशान्त व उसके

साथी आकाश पुत्र हरिओम निवासी कस्बा टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत व गौरव निवासी लधवाडी थाना बागपत जनपद बागपत के साथ गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे आवेदक का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 478/2024 धारा 147/149/504/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पहलवान पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0यू0टी0 हिमांशु सागर थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 556 इलियास अहमद थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक -30.06.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्ची, एक पैन व 320 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 सट्टा पर्ची, एक पैन व 320 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फारूख पुत्र सलीमुदीन निवासी अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 सट्टा पर्ची ।
- एक पैन
- 320 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-यू0टी0 उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना रमाला ।
- 2-है0का0 166 खालिद थाना रमाला ।
- 3- का0 583 उमेश कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 30.06.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 452/376/506 भा.द.वि. व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 452/376/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

वसीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-व०उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना रमाला बागपत ।
- 2-है०का० 263 मौ० आरिफ थाना रमाला बागपत ।
- 3-का० 19 सोनित कुमार थाना रमाला बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 30.06.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 177/24 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 177/24 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पुनित पुत्र रामवीर निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार/ बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री नन्हे सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का० 395 ललित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

- 4-का0 399 राहुल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6-म0है0का0 204 मंजू थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

